[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 51 /2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 अक्तूबर, 2017

सा0का0नि0.....(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, –

(i) नियम 24 के उपनियम (4) में, ''31 अक्तूबर, 2017 को या उससे पहले'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले'' अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 45 के उपनियम (3) में, ''उक्त तिमाही के उत्तरवर्ती'' शब्दों के पश्चात्, ''या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विस्तारित की जाए :

परंतु राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) नियम 96 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

''परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में स्वत: प्रारूपित की जाएगी ।'' ;

(iv) नियम 96क के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे किया जाएगा, अर्थात् :--

''परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में स्वत: प्रारूपित की जाएगी ।''

[फा0सं0 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.2)]

(डा0 श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं03/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा0का0नि0 सं0 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें सा0का0नि0 1304(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 47/2017-केंद्रीय कर, तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था ।